



Neutral Citation No. - 2026:AHC:45594

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3106/2026

चंद्र शेखर

----- याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

----- प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : आर्य गौतम, अतिप्रिया गौतम, जय विश्वनाथ पांडे

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : मुख्य स्थाई अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. श्री विजय गौतम, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता जिनकी सहायता सुश्री वैष्णवी श्रीवास्तव (UP 36077/2025) ने की, जो याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता, सुश्री आर्या गौतम की ओर से उपस्थित हुईं और श्री प्रशांत कुमार मिश्रा, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता, को सुना गया।
2. विरोधी पक्षों द्वारा एक संयुक्त बयान दिया गया है और विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्ताव दिया है कि वे रिट याचिका में कोई हलफनामा दाखिल नहीं करना चाहते हैं और रिट याचिका का निर्णय नए सिरे से पक्षों की सहमति से अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर किया जाए।
3. याचिकाकर्ता का मामला यह है कि याचिकाकर्ता 01.08.1994 को आरक्षी और वर्ष 2003 में हेड आरक्षी के पद पर तैनात थे, जिसके बाद उन्हें सब-इंस्पेक्टर के पद पर पदोन्नत किया गया। सब-इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उन्हें एटा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 02.01.2026 के एक आदेश के तहत निलंबित कर दिया गया था। यह निलंबन उत्तर प्रदेश पुलिस अधीनस्थ अधिकारी (दंड और अपील) नियम 1991 के नियम 17 (1) (क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जांच की संभावना के मद्देनजर कुछ आरोपों के कारण किया गया था।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए यह रिट याचिका दायर की गई है।
5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि याचिकाकर्ता को 12.01.2026 को निलंबित किया गया था, लेकिन 19.01.2026 को सी.ओ. अलीगंज, एटा द्वारा एक पत्र जारी कर याचिकाकर्ता को प्रारंभिक जांच में भाग लेने के लिए बुलाया गया था।
6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि निलंबन आदेश को मान्य नहीं ठहराया जा सकता, विशेष रूप से तब जब इसे केवल उन्हीं परिस्थितियों में पारित किया जा सकता है जिनमें कोई जांच विचाराधीन हो या लंबित हो। हालांकि, निलंबन आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि जांच विचाराधीन है, लेकिन 19.01.2026 के पत्र से ही स्पष्ट है कि प्रारंभिक जांच चल रही है और इसलिए कानून की दृष्टि से यह नहीं कहा जा सकता कि विभागीय जांच लंबित है या विचाराधीन है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रारंभिक जांच के परिणाम के बाद नियमित विभागीय जांच की जा सकती है या नहीं भी की जा सकती है।
7. इस मामले में सच्चिदानंद त्रिपाठी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य के मामले में रिट याचिका संख्या 69308/2013 में दिनांक 17.12.2013 को दिए गए फैसले पर भरोसा किया गया है, जिसकी एक प्रति याचिका के अनुलग्नक-4 के रूप में संलग्न की गई है। इस फैसले में न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि यद्यपि विभागीय जांच के मद्देनजर कर्मचारी को निलंबित करना नियोक्ता का विशेषाधिकार है, लेकिन जब सक्षम प्राधिकारी ने नियमित विभागीय जांच करने या न करने का निर्णय लेने से पहले प्रारंभिक तथ्य-खोज जांच करना उचित समझा है, तो इसका अर्थ यह निकाला जाना चाहिए कि कोई नियमित विभागीय जांच विचाराधीन नहीं थी और इस प्रकार इसे विभागीय जांच/कार्यवाही के मद्देनजर निलंबन नहीं कहा जा सकता है।
8. दूसरी ओर, विद्वान स्थायी अधिवक्ता का कहना है कि जिन आरोपों के आधार पर याचिकाकर्ता को निलंबित किया गया है, वे गंभीर और महत्वपूर्ण हैं। हालांकि, वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि दिनांक 19.01.2026 के पत्र के मद्देनजर प्रारंभिक

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



- जांच करने का निर्देश दिया गया है और उक्त परिस्थितियों में निलंबन का सहारा नहीं लिया जा सकता। उन्होंने निवेदन किया कि निलंबन आदेश रद्द किया जाए और मामले को अधिकारियों को वापस भेजा जाए ताकि वे नया आदेश पारित कर सकें।
9. बार में दिए गए निवेदनों को सुनने के बाद और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि निलंबन आदेश के बाद प्रारंभिक जांच करने का पत्र जारी किया गया है और निलंबन केवल प्रारंभिक जांच के बाद ही आवश्यक होने पर किया जा सकता है, सचिंद्र नंद त्रिपाठी (उपरोक्त) मामले में दिए गए निर्णय का अनुसरण करते हुए, विवादित आदेश को मान्य नहीं ठहराया जा सकता।
10. तदनुसार, रिट याचिका का निपटारा किया जाता है और एटा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा दिनांक 12.01.2026 को पारित याचिकाकर्ता को निलंबित करने का आदेश रद्द किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी को प्रारंभिक जांच के निष्कर्ष के बाद कानून के अनुसार नया आदेश पारित करने की स्वतंत्रता दी जाती है।

(विकास बुधवार, जे.)

27 फरवरी, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।